**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN**
**BENCH AT JAIPUR**

S.B. Civil Transfer Petition No. 234/2026
CNR: RJHC020558912026 | URN: CTA / 379U / 2026

Rajasthan High Court
Web Copy - Not Official

----Petitioner

Versus

----Respondent

For Petitioner(s) : Ms. Dhriti Sharma
For Respondent(s) : Ms. Priyansha Gupta

**HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI**

**Order**

**09/09/2026**

प्रार्थीया की ओर से अंतरण प्रार्थना पत्र संख्या 234/2026 अंतर्गत धारा 24 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 तरूण बनाम सोनिया, प्रकरण संख्या 36/2026 अंतर्गत धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 को विद्वान पारिवारिक न्यायालय संख्या 1, अलवर से विद्वान पारिवारिक न्यायालय सांगानेर में अंतरित करवाने हेतु पेश किया गया है।

प्रार्थीया के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि प्रार्थीया और प्रत्यर्थी का विवाह दिनांक 29.04.2023 को हिंदू रीति–रिवाज से अलवर में संपन्न हुआ था। प्रार्थीया जयपुर में निवास कर रही है, उसकी आय अर्जन का कोई साधन नहीं है। प्रत्यर्थी ने विद्वान पारिवारिक न्यायालय संख्या–1 अलवर में धारा 13(1) हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है। जयपुर से अलवर की दूरी अत्यधिक है, प्रत्येक तारीख पेशी पर जयपुर से अलवर लंबी दूरी की यात्रा करना प्रार्थीया के लिए संभव

(Downloaded on 14/09/2026 at 11:31:25 AM)

Scanned with OKEN Scanner

नहीं है। उसे यात्रा करने में अनावश्यक परेशानी होगी तथा वित्तीय भार उस पर पड़ेगा, वहीं प्रत्यर्थी को जयपुर स्थित न्यायालय में आकर पैरवी करने में कोई असुविधा नहीं होगी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न विनिश्चयों में उन महिलाओं के पक्ष में जो आर्थिक रूप से कमजोर होती हैं अपने मत व्यक्त किए हैं, जिनको दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण का अंतरण किया जाना चाहिए। अतः उक्त प्रकरण विद्वान पारिवारिक न्यायालय संख्या 1, अलवर से विद्वान पारिवारिक न्यायालय सांगानेर में अंतरित किया जावे।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

प्रार्थीया के विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न विनिश्चय प्रस्तुत किए हैं:–

1. N.C.V. Aishwarya Versus A.S. Saravana Karthik Sha; 2022 SCC Online SC 1199.

2. Smt. Ekta Dhadhich Versus Rajendra Prasad Sharma; S.B. Civil Transfer Application No. 72/2021; order dated 30.09.2021.

प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि प्रार्थीया वस्तुतः जयपुर में निवास नहीं करती है, वह धौलपुर की निवासी है। प्रार्थीया व उसकी माता के मध्य प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या क्रमशः 273/2022, 194/2022, 291/2022 महिला थाना धौलपुर में तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 523/2019 पुलिस थाना कोतवाली धौलपुर में संस्थित हुई। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया जयपुर की निवासी नहीं होकर धौलपुर की निवासी है। वह जयपुर की स्थायी निवासी हो, इसके संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसके अतिरिक्त प्रार्थीया शत्रुधन उर्फ रितिक के साथ लिव–इन–रिलेशनशिप में रह रही है, इसके संबंध में उनके द्वारा जवाब के साथ फोटोग्राफ्स भी प्रस्तुत किए गए हैं। प्रार्थीया शत्रुधन उर्फ रितिक के साथ जयपुर में निवास करने के कारण से तथा उसके द्वारा प्रार्थीया से कहने पर कि विवाह विच्छेद याचिका में वह पैरवी कर लेगा और आवश्यक कार्यवाही कर लेगा, उसके कहने पर प्रार्थीया ने यह याचिका प्रकरण के अंतरण के लिए लगाई है। यदि प्रार्थीया जयपुर से अलवर स्थित न्यायालय में आती है तो उसके आने जाने का व अन्य खर्चा प्रत्यर्थी देने के लिए तैयार है। माननीय

(Downloaded on 13/09/2026 at 11:31:25 AM)

Scanned with OKEN Scanner

उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न विनिश्चयों में यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि तुलनात्मक रूप से प्रकरण को अंतरित करने पर पति को असुविधा होती है, तो प्रकरण को अंतरित नहीं किया जाना चाहिए। पत्नी की आर्थिक दुर्बलता, याचिका के अंतरण का कारण नहीं माना जा सकता है। जयपुर से अलवर स्थित न्यायालय में प्रार्थीया के आने का खर्चा देने के लिए प्रत्यर्थी तैयार है। अतः यह अंतरण प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत उक्त अंतरण प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

सुना गया तथा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया।

प्रार्थीया और प्रत्यर्थी का विवाह दिनांक 29.04.2023 को हिंदू रीति–रिवाज से अलवर में संपन्न होना बताया गया है। जो प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित हुई हैं, उसके आधार पर प्रार्थीया का मूल निवास स्थान धौलपुर होना बताया गया है। धारा 13(1) हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रार्थना पत्र में भी प्रार्थीया का पता धौलपुर का दर्शित किया गया है। प्रार्थीया जयपुर की स्थायी निवासी हो यह तथ्य इस स्तर पर प्रथमदृष्ट्या स्पष्ट नहीं है। प्रार्थीया का शत्रुधन उर्फ रितिक के साथ लिव–इन–रिलेशनशिप में रहना बताया गया है और इस संबंध में फोटो व अन्य दस्तावेज प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत किऐं गए हैं। प्रार्थीया के आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होने के कारण से वह जयपुर से अलवर स्थित न्यायालय में जाने के लिए समर्थ व सक्षम नहीं हो, यह नहीं माना जा सकता है। इस संबंध में भी Kirti Sharma Vs. Devesh Sharma; 2017(3) M.P.L.J. आदेश दिनांकित 02.03.2017 के पैरा संख्या 8 व 9 को यहां उल्लेखित किया जाना न्यायोचित होगा:–

*8. Having considered the submissions of the parties, I am of the considered view that in the present case the balance of convenience or inconvenience is in favour of the husband. The facts of the present case are to be tested on the anvil of the law laid down by the Apex Court in para 25 of the judgment passed in the case of Kulwinder Kaur (supra). The applicant has already appeared in the suit proceedings filed by the*

(Downloaded on 14/09/2026 at 11:31:25 AM)

Scanned with OKEN Scanner

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

respondent. She had attended the proceeding two tothree times and has also been granted permission to be represented by an Advocate. The main contention of the applicant is that there is financial crunch with the applicant to attend the proceedings from Gwalior to Bina. So far as the other contention that there is likelihood of any mishap with the applicant, on being asked, the counsel for the applicant fairly admitted that no such complaint has been made by the applicant and no such incident has occurred so far in the proceedings pending before the Court at Bina. No other inconvenience is expressed on behalf of the applicant except that her allegations have not been denied by the respondent and, therefore, the same be treated to be admitted.

9. In the backdrop of the aforesaid authoritative pronouncement, I am of the considered view that applicant could not make out a case for transfer from Bina to Gwalior as Gwalior is well connected by train facilities to Bina. So far as the financial difficulty expressed by the applicant is concerned, counsel for the respondent submits that respondent/husband will make appropriate deposit to bear the expenses of the wife as may be determined by the Court. He will ensure that the applicant may not handicap to defend the proceedings on account of financial difficulty and in this regard, the competent Court may be directed to pass the orders from time to time for further deposit. In the case of Gargi Konar (supra) the Court has held that the poor financial capacity of the wife is not a ground for transfer of matrimonial matter and in the said case the husband was directed to bear the expenses of the wife. The relevant paras 2 and 3 of the judgment of Gargi Konar (supra) are reproduced as under :-

"2. The only ground made out in the transfer petition by the petitioner wife is that she is a helpless woman fully

(Downloaded on 14/09/2026 at 11:31:25 AM)

Scanned with OKEN Scanner

*dependent upon her father and that her financial capacity is not such so that she can contest the proceedings in Bhatinda in the State of Punjab.*

*3. In our view, this is not a ground for transfer at all. The respondent can be directed to pay for her and her companion, to-and-fro and stay, expenses on every occasion on which she is required to travel. The Additional Civil Judge before whom the case is pending is directed to quantify the amount and to ensure that the same is paid to her on every occasion that she is required to remain present in the Court. With these directions, the transfer petition stands dismissed."*

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

इस प्रकरण में प्रार्थीया आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो, इस आधार पर प्रकरण को अलवर से जयपुर अंतरण किए जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है। प्रार्थीया के जयपुर से अलवर जाने में समस्त व्ययों को प्रत्यर्थी वहन करने के लिए तैयार है। प्रार्थीया अलवर स्थित न्यायालय में स्वयं के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की स्थिति में हर्जे–खर्चे के लिए संबंधित न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकती है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीया अलवर स्थित न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर या न्यायमित्र के माध्यम से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अलवर स्थित पारिवारिक न्यायालय में उपस्थित हो सकती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया के आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होने के आधार पर यह अंतरण प्रार्थना पत्र को स्वीकार किए जाने का कोई न्यायसंगत उचित आधार नहीं है।

जयपुर स्थित न्यायालय में कोई अन्य प्रकरण दोनों पक्षो के मध्य लंबित होना नहीं बताया गया है। दोनों पक्षों के मध्य केवल मात्र एक प्रकरण धारा 13(1) हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 का प्रार्थना पत्र विद्वान पारिवारिक न्यायालय संख्या 1 अलवर में लंबित होना बताया गया है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है कि दोनों पक्षों के मध्य कोई अन्य

(Downloaded on 11/09/2026 at 11:31:25 AM)

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण जयपुर स्थित न्यायालय में लंबित चल रहे हों और जिनमें प्रत्यर्थी उपस्थित आ रहा हो। ऐसी स्थिति में यदि अलवर से जयपुर स्थित न्यायालय में प्रकरण को अंतरित नहीं किया जाता है तो मेरे विनम्र मत में प्रार्थीया को तुलनात्मक रूप से अधिक असुविधा व कठिनाई नहीं होगी और वह प्रत्येक तारीख पेशी पर जयपुर से अलवर स्थित न्यायालय में उपस्थित होने की स्थिति में, प्रकरण से संबंधित समस्त व्यय प्रत्यर्थी से प्राप्त करने के लिए संबंधित न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र रहेगी और प्रार्थीया न्यायमित्र के माध्यम से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी अलवर स्थित पारिवारिक न्यायालय में उपस्थित हो सकती है।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण संख्या 36/2026 अंतर्गत धारा 13(1) हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 तरूण बनाम सोनिया को विद्वान पारिवारिक न्यायालय संख्या 1, अलवर से विद्वान पारिवारिक न्यायालय सांगानेर या अन्य किसी न्यायालय में अंतरितं किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत यह अंतरण प्रार्थना पत्र संख्या 234/2026 अंतर्गत धारा 24 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

संलग्न स्थगन व अन्य आवेदन, यदि कोई हो, उपरोक्तानुसार निस्तारित किये जाते हैं।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

27/KISHAN SONI

(Downloaded on 14/09/2026 at 11:31:25 AM)

Scanned with OKEN Scanner